छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –176 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-02805**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''गोल्फ ग्रीन'', प्रमोटर–ए.एस. हाउसिंग कंपनी, द्वारा–श्री जगजीत सिंह भाटिया, पता–बी–02, पंकज विक्रम परिसर, शैलेन्द्र नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''गोल्फ ग्रीन'' पता–सेजबहार, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/11/2025	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 02.05.2025 के अनुसार यह पाया गया कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''गोल्फ ग्रीन'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA140818000687** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 14.08.2018 से पंजीकृत है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/ 2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं परिपत्र क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, अपने ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 22.05.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार दिसम्बर, 2024 तक अद्यतन की गई है तथा वार्षिक विवरण रिपोर्ट वर्ष 2018–2019 से 2023–2024 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 16.08.2024 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अनावेदक	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –176 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2025-02805**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''गोल्फ ग्रीन'', प्रमोटर–ए.एस. हाउसिंग कंपनी, द्वारा–
श्री जगजीत सिंह भाटिया, पता–बी–02, पंकज विक्रम परिसर, शैलेन्द्र नगर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''गोल्फ ग्रीन'' पता–सेजबहार, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पालन किया गया है। अस्तु प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	